महत्वपूर्ण

संख्या–1015/77–3–14–6सी/12

प्रेषक

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर--ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा सिटी,
गौतमबुद्धनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग–3 लखनऊ:दिनांक: 29 अगस्त, 2014

विषय:--यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित काश्तकारों को 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र अर्थात् जनपद–गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा एवं आगरा के ग्रामवासियों की समस्याओं एवं कृषक प्रतिनिधियों/संगठनों द्वारा उठायी गयी मांगों तथा किसी उद्योग विशेष या अन्य किसी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कृषकों की समस्याओं पर विचार कर निराकरण करने के सम्बन्ध में संस्तुति देने हेतु गोपन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या--4/4/2/2013–सी.एक्स.(1),दिनांक 03.09.2013 द्वारा श्री राजेन्द्र चौधरी, मा0 मंत्री, कारागार की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के कियान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:–

(1) नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में कृषकों द्वारा योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित संयुक्त आदेश में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–17 की कार्यवाही औचित्यपूर्ण न मानते हुए निर्देश दिये गये कि अर्जन से प्रभावित कृषकों को 64.7प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर एवं 10 प्रतिशत विकसित भूमि वापस करें। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में भी कृषकों द्वारा लगभग 700 रिट याचिकाएं अर्जन की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए दाखिल की गयी है, जिसमें अधिकांश में

स्थगन आदेश पारित किये गये है तथा जो परिस्थितियाँ नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा द्वारा किये गये अर्जन में विद्यमान थी, वही परिस्थितियाँ यमुना एक्सप्रेसवे के अर्जन के अधिकांश मामलों में विद्यमान हैं। प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न आवंटियों को आवंटित की जा चुकी हैं, जिसके कारण तृतीय पक्ष के हित इस अर्जन भूमि में निहित हो गये है और यदि अर्जन कार्यवाही के विरूद्ध योजित याचिकाओं में विपरीत आदेश पारित होता है, तो अनेक विधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। अतः सम्भावित विधिक जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावित काश्तकारों से आउट आफ कोर्ट समस्या का समाधान कराने की आवश्यकता है। समिति को कृषक प्रतिनिधियों द्वारा वार्ता के समय यह आश्वासन दिया गया था कि यदि शासन/प्राधिकरण 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने को तैयार हो तो कृषक भी न्यायालय में योजित याचिकाओं को वापस ले लेंगे।

(2) यदि किसी ग्राम के यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत/कय भूमि के संबंधित सभी कृषक/याचिकाकर्ता मा0 उच्च न्यायालय में अथवा अन्य किसी न्यायालय में लम्बित अपनी याचिकायें वापस लेते हैं और भविष्य के लिए यह लिखित आश्वासन देते हैं कि वे प्राधिकरण अथवा उसके आवंटियों के विरूद्ध किसी न्यायालय में वाद योजित नहीं करेंगे और विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तो प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भाँति प्रभावेत कृषकों को 64.7 प्रतिशत प्रतिकर के समतुल्य धनराशि No litigation incentive/अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में देने पर विचार करें जिसकी प्रतिपूर्ति संबंधित आवंटियों से अनुपातिक रूप से कर ली जाये तथा प्राधिकरण के पास उपलब्ध आवंटन योग्य भूमि के आवंटन दर निर्धारण (Costing) में भी इसे अनुपातिक रूप में अधिरोपित किया जाये।

(3) ये हित लाभ उन कृषकों को भी अनुमन्य किये जायें जिन कृषकों की भूमि प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बैनामा द्वारा सीधे कय की गयी है।

(4) अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान की प्रकिया किसानों से समझौता कर संबंधित ग्राम की समस्त रिट याचिकायें/वाद वापस लिए जाने एवं भूमि का मौके

पर भौतिक कब्जा लिये जाने पर प्राधिकरण की योजनाओं/प्राथमिकताओं के अनुसार ग्रामवार भुगतान की कार्यवाही की जाये। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत यदि एकमुश्त रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान सम्भव न हो सके तो किश्तों में अथवा विकसित भूमि के रूप में भुगतान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

(5) भू–स्वामियों को उक्त वर्णित अतिरिक्त हितलाभ केवल उस दशा में ही दिये जायें जब वह भूमि का भौतिक कब्जा प्राधिकरण को सौंप दे, मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका/वाद को वापस ले, प्राधिकरण के तथा आवंटियों के विकास कार्यो में भविष्य में भी कोई बाधा उत्पन्न न करने तथा भविष्य में भी भूमि अर्जन के विरूद्ध कोई भी वाद किसी न्यायालय में योजित न किये जाने का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत कर दिया जाये। अतिरिक्त प्रतिकर पर आने वाला व्यय प्राधिकरण अपने स्रोतो से स्वमं वहन करेगा, राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

(6) नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र अर्थात् जनपद–गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा एवं आगरा के ग्रामवासियों की समस्याओं एवं कृषक प्रतिनिधियों/संगठनों द्वारा उठायी गयी मांगों तथा किसी उद्योग विशेष या अन्य किसी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कृषकों की समस्याओं पर विचार कर निराकरण हेतु श्री राजेन्द्र चौधरी, मा0 मंत्री, कारागार की अध्यक्षता में गठित समिति की शासन को यदि अन्य संस्तुतियों प्राप्त होती हैं, तो उन पर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के प्रभावित काश्तकारों को 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।